



क्र./परिषद्/क्रय/मेस केटरिंग/निविदा/2021-22/3034

रायपुर, दिनांक 22.09.2021

//मेस केटरिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रण//

एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (छ.ग.) के मेस केटरिंग कार्य लिए वर्ष 2021-22 हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की बिक्री/जमा करने/खोले जाने की तिथि एवं समय तथा स्थान की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अवधि - दिनांक 24.09.2021
से 23.10.2021
2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - दिनांक 23.10.2021 समय - अपरान्ह 03:00
बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि - दिनांक 23.10.2021 समय- अपरान्ह 04.00
बजे से
स्थान - मीटिंग हॉल
कक्ष क्र. 101, एस.सी.
ई.आर.टी.रायपुर(छ.ग.)

निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी केवल एस.सी.ई.आर.टी. के वेब साईट www.scert.cg.gov.in में से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1000/- (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) है, यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। ड्राफ्ट संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगा। आवेदन पत्र के साथ ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर



केटरिंग कार्य हेतु निविदा

पात्रता एवं अनुबंध की शर्तें

- 1 शासन द्वारा निषिद्ध अथवा अपात्र वेन्डर/संस्था योग्य नहीं होंगे।
- 2 यदि वेन्डर के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है, अथवा किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षों में दोष सिद्ध ठहराया गया हो तो ऐसे वेन्डर के निविदा विचार योग्य नहीं होंगे।
- 3 वेन्डर के विरुद्ध किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही लंबित हो अथवा किसी ठेकेदारी कार्य के लिए ब्लेक लिस्टेड किया गया हो तो ऐसे वेन्डर विचार योग्य नहीं होंगे।
- 4 निविदा की न्यूनतम दर परिषद द्वारा निविदा में वर्णित गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री की वर्तमान में प्रचलित बाजार दर के आधार पर आकलन कर निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी निविदा खोले जान के पूर्व सभी उपस्थित निविदाकारों को दे दी जावेगी। परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम की निविदा भरे जाने अथवा इस संबंध में त्रुटिपूर्ण निविदा प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वेन्डर द्वारा निविदा तीन अलग-अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। पहले लिफाफे के ऊपर 'अमानत राशि' लिखा जाएगा तथा दूसरे लिफाफे के उपर 'तकनीकी निविदा' एवं तीसरे लिफाफा के ऊपर 'वित्तीय निविदा' लिखा जायेगा। तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के भीतर रखकर सीलबंद कर एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के निविदा बाक्स में निर्धारित अवधि में डाला जायेगा अथवा स्पीड पोस्ट से एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) को भेजा जायेगा, परन्तु ध्यान रहे कि जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उसे नहीं खोला जावेगा।

नोट – निविदा जमा करने का तात्पर्य यह होगा कि वेन्डर को एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) की सभी शर्तें मंजूर हैं। वेन्डर द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में स्वतः द्वारा लिखें गए किसी भी अन्य शर्तों को मान्य नहीं किया जायेगा।

वेन्डर द्वारा तीनों लिफाफे में निम्नानुसार अभिलेख/दस्तावेज रखा जायेगा :-

(अ) पहला लिफाफा, अमानत राशि का लिफाफा :-

1. अमानत राशि वाले लिफाफा में डिमांड ड्राफ्ट रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र) का रखा जायेगा, जो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगा, जो कि सेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

टीप :- अमानत राशि के लिफाफे में 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट पाए जाने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात तकनीकी लिफाफा खोला जायेगा।

(ब) दूसरा लिफाफा तकनीकी निविदा :- इस लिफाफा में निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र भाग-1 को पूर्णतः भरकर प्रस्तुत किया जावेगा। तकनीकी निविदा के लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र भाग-1 के साथ ही निम्न अभिलेख/दस्तावेज रखना अनिवार्य है :-

1. फर्म/समिति/सोसायटी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन PAN Number की छायाप्रति जो कि वेंडर के नाम से हो।
3. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी GST का जीवित पंजीयन की छायाप्रति जो कि वेंडर/फर्म के नाम से हो।
4. शासकीय/अर्धशासकीय उपक्रम PSU (भारत सरकार, राज्य सरकार) द्वारा संचालित संस्थाओं में न्यूनतम 02 वर्ष का मेस केटरिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. निविदाकार संस्था/फर्म का विगत 02 वर्षों का टर्न ओवर जिसमें से प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम रू. 25 लाख (रू. पच्चीस लाख) केटरिंग कार्य का टर्नओवर (जिसका चार्टर्डेट एकाउन्टेड का सत्यापन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. निविदाकार का 100/- रू. के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र। (संलग्न प्रपत्र में)।
7. खाद्य एवं औषधी नियंत्रक विभाग द्वारा जारी फूड लाइसेंस की छायाप्रति।
8. उपरोक्तानुसार उल्लेखित तकनीकी निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज बाबत शासन द्वारा छूट प्राप्त हो तो शासनादेश की प्रति।
9. FSSAI का जीवित पंजीयन।
10. प्रपत्र भाग-1 संलग्न में दस्तावेज की सूची।

